प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –261 / 2023

अनवान : –

1. लिछमनराम पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. नत्थुराम पुत्र फुसाराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. भीमराज पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पुत्री नत्थुराम पत्नी बिरबलराम जाति मेघवाल निवासी अर्जनसर जिला बीकानेर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 12.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 257 / 259 की कुल 8.6273 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है जो कि वादी के दादा फुसाराम पुत्र मलूराम की नौतोड़ कर्ता भूमि है चूंकी प्रतिवादी स0 1 कर्ता खानदान होने के कारण वाद भमि अकेले के नाम अनुचित तरीके से दर्ज करवा ली जबकि वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है।

वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद भूमि बाबत बाहमी बंटवारानामा हो चुका है जिसके मुताबिक प्रतिवादीया स0 3 ने वादी व प्रतिवादी स0 1 व 2 के पक्ष में अपना जो भी हक हिस्सा है उसका परित्याग कर दिया हैं बाहमी राजीनामा के अनुसार रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 257 / 259 की कुल 8.6273 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज [illegible] प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने उपस्थि[illegible] करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन कि[illegible] फरमाया जाता है [illegible] प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:50:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 257/259 की कुल 8.6273 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 257/259 की कुल 8.6273 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक....12/6/23.......को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ललानिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:30:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –261/2023

अनवान : –

1. लिछमनराम पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. नत्थुराम पुत्र फुसाराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. भीमराज पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पुत्री नत्थुराम पत्नी बिरबलराम जाति मेघवाल निवासी अर्जनसर जिला बीकानेर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 261 सन 2023 निर्णय दिनांक 12.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 257/259 की कुल 8.6273 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ललानिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:30:24 IST
Reason: SelfAttested